राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ– 4(09)ग्रावि / ग्रुप–3 / हैल्पलाईन / 09–10 जयपुर, दिनांक 31/7/12

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थापित निःशुल्क हैल्पडेस्क इन्फोर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (कॉल सेन्टर) के माध्यम से रोजगार की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालयों के साथ अन्य 10 स्थानों पर भी फार्म नं. 6 उपलब्ध कराये जा कर उनके प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। विशेष परिस्थितियों में रोजगार की मांग किये जाने एवं प्राप्ति रसीद की व्यवस्था पंचायत समिति कार्यालय पर भी की गई है। यदि इसके उपरान्त भी श्रमिकों को फार्म नं. 6 की रसीद प्राप्त करने में कठिनाई हो तो श्रमिकों के रोजगार की मांग के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर (एचआईएमएस) के माध्यम से भी रोजगार की मांग दर्ज किये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था 15 अगस्त, 2012 से सम्पूर्ण राज्य में प्रारम्भ की जा रही है। **इस व्यवस्था के तहत जॉबकार्डधारी परिवार निःशुल्क नम्बर 1800–180–6606 पर कॉल कर रोजगार की मांग दर्ज करवा सकते है।**

कॉल सेन्टर (एचआईएमएस) के निःशुल्क नम्बर पर दर्ज श्रमिकों के रोजगार की मांग के संबंध में आवश्यक सूचना संबंधित विकास अधिकारी को एसएमएस एवं ई–मेल द्वारा तथा ग्रामसेवक को एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी। यह सूचना ए.डी.पी.सी. एवं कार्यक्रम अधिकारी के एचआईएमएस डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध रहेगी। विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉलसेन्टर पर दर्ज की गई रोजगार की मांग संबंधित पंचायत के **पखवाड़ा प्रारम्भ होने से पूर्व नरेगा सॉफ्ट में दर्ज हो एवं उन्हे कार्य का आवंटन भी किया जावें।** नरेगा सॉफ्ट में कार्य आवंटन के पश्चात **विकास अधिकारी द्वारा इसे एचआईएमएस वैबसाईट (nregahimsrajasthan.com) पर भी अपडेट किया जावेंगा।**

उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी आम नागरिक को उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा की जावें, सूचना का पैम्पलेट के रुप में वितरण कराया जावें एवं जिला स्तरीय संवाद में **NGO's** तथा **social activist** को जानकारी दी जावें। सूचना का प्रारुप संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम / द्वितीय) ईजीएस, तथा मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इस व्यवस्था की जानकारी समस्त विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी को भी आवश्यक रूप से दी जावे।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर / जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

नि:शुल्क टेलीफोन नम्बर 1800–180–6606 के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार की मांग

- यदि फार्म नं. 6 की पावती रसीद आवेदक को प्राप्त नहीं होती है तो रोजगार की मांग अब नि:शुल्क टेलीफोन नम्बर 1800–180–6606 पर भी की जा सकती है।
- यह सुविधा प्रात: 6:00 बजे से शाम 6:00 तक उपलब्ध है।
- मांग हेतु जॉबकार्ड का पूरा नम्बर बताना आवश्यक है।
- नि:शुल्क नम्बर डायल करने के पश्चात सुनाई देने वाले विकल्प में से 1 नम्बर बटन दबाकर महात्मा गांधी नरेगा का चयन करें।
- रोजगार की मांग के लिए 4 नम्बर का बटन दबा कर नरेगा ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करावें।
- जानकारी प्राप्त करने के बाद नरेगा ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा टोकन नम्बर दिया जावेगा।
- टोकन नम्बर से आपके द्वारा की गई मांग की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
- महात्मा गांधी नरेगा से सम्बन्धित जानकारी एवं शिकायत के लिए भी नि:शुल्क टेलीफोन नम्बर 1800–180–6606 पर सम्पर्क किया जा सकता है।